E-1033378 (49F 78/ACTT(B)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No. F.3(80)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/286

Dated: 24/3/2/

Notification No. 05/2020 - State Tax (Rate)

No. F.3(80)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ — In exercise of the powers conferred by subsections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 19B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"19C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space	Nil	Nil."
		Research Organisation, Antrix Corporation Limited		
		or New Space India Limited.		

This notification shall come into force with effect from the 16th day of October, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> (Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

> > Dated: 24/3/2/

No. F.3 (80)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ 286

Copy forwarded for information to:-

- The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

Mr. Pawan Meener | Inchange IT cell for ubloading on website

1387/11

- The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate dated the 30th September, 2020, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2020 - State Tax (Rate), dated the 8th January, 2021 *vide* No. F.3 (73)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/20, dated the 8th January, 2021.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–IV) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

स फा. 3(80) / वित्त(ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / रु

दिनांकः *24/3/2*%

अधिसूचना संख्या 5/2020-राज्य कर (दर)

स.फा. 3(80) / वित्त (ट्यय-IV) / 2020—21 / डीएस—IV / : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व—I) की अधिसूचना संख्या 12 / 2017—राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं.फा. 3(15) / वित्त (राजस्व—I) / 2017—18 / डीएस—VI / 380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV में प्रकाशित किय गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कम सं. 19ख और उससे संबंधित प्रविष्ठियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"19ग 9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. या न्यू स्पेस इण्डिया लि. के द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा ।		12#	शून्य''
-----------	--	--	-----	---------

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

सं.फा. 3(80) / वित्त(ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / 286

W. R

दिनांकः 24/3/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
 - वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
 - 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
 - 8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
 - 9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
 - 10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
 - 11. वेब साईट।
 - 12. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

नोटः प्रधान अधिसूचना सं० 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/358, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधल अधिूसचना संख्या 04/2020- राज्य कर (दर), दिनांक 08/01/2021, सं.फा. 3(73)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/20, दिनांक 08/01/2021 के द्वारा संशोधन किया गया है।